BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

OA NO. 677 OF 2024

IN THE MATTER OF:

CHANDER PRAKASH ...PETITIONER

VERSUS

HARYANA STATE
POLLUTION
CONTROL BOARD& ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

SR. NO.	PARTICLUAR	PAGE NO.
1.	DOCUMENT ON BEHALF OF PETITIONER- Reply from State Forest Department dated 25.09.2025 to RTI filed by Petitioner Counsel along with documents.	1 - 16

THROUGH

ANUBHAV SINGH
ADVOCATE FOR PETITIONER
C-467, 2ND FLOOR, DEFENSE COLONY,
NEW DELHI – 110048
+91-9821252269, 9540676169
ADVANUBHAVSINGH@GMAIL.COM

NEW DELHI
23.04.2026

228   199   1

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।

हिसार बाईपास रोड़, सिरसा टेलिफोन नम्बर 01666–243307
Email:– forest_sirsa@yahoo.com

क्रमांक :– 6325   दिनांक :– 25.09.20

सेवा में,

श्री वंदन कुमार अधिवक्ता,
पता– चैम्बर नम्बर–409,
लॉयर चैम्बर कॉम्पलेक्स,
जिला कचहरी सिरसा।
मोबाईल नम्बर–88139–10862.

विषय :– जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार से है:–

बिन्दु नं०–1 इस कार्यालय द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित रेट अनुसार वृक्षों की कीमत आरक्षित करके सम्बन्धित विभाग को दी जाती है तथा उपायुक्त सिरसा के कार्यालय पत्र क्रमांक 2267–73/पी.ए./पंचायत/2024 दिनांक 21.08.2024 व पत्र क्रमांक 105–11/पी.ए./पंचायत/2023 दिनांक 11.04.2023 की प्रति संलग्न है।

बिन्दु नं०–2 इस कार्यालय द्वारा वृक्षों की केवल कीमत आरक्षित करके दी जाती है। वृक्ष बेचने व निलाम करने की आवश्यक स्वीकृति व NOC सम्बन्धित विभाग को अपने सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होता है।

बिन्दु नं०–3 इस कार्यालय द्वारा वृक्षों की केवल कीमत आरक्षित करके दी जाती है। इस कार्यालय द्वारा पेड़ कटाई हेतू किसी भी एजैन्सी को अधिकृत नहीं किया जाता है।

बिन्दु नं०–4 इस कार्यालय द्वारा वृक्षों की केवल कीमत आरक्षित करके दी जाती है। वृक्ष बेचने व निलाम करने की आवश्यक स्वीकृति व राजस्व की जमा राशि का विवरण इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है।

बिन्दु नं०–5 इस कार्यालय द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित रेट अनुसार वृक्षों की कीमत आरक्षित करके सम्बन्धित विभाग को दी जाती है तथा उपायुक्त सिरसा के कार्यालय पत्र क्रमांक 2267–73/पी.ए./पंचायत/2024 दिनांक 21.08.2024 व पत्र क्रमांक 105–11/पी.ए./पंचायत/2023 दिनांक 11.04.2023 की प्रति संलग्न है।

बिन्दु नं०–6 इस कार्यालय द्वारा वृक्षों की कीमत आरक्षित किये जाने उपरान्त सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी बनती है।

राज्य जन सूचना अधिकारी
एवं वन मण्डल अधिकारी,
सिरसा।

प्रेषक

उपायुक्त, सिरसा।

सेवा मे

समस्त खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
जिला सिरसा।

क्रमांक 105-11 /पी०ए०/पंचायत 2023/दिनांक 11/4/2023

विषयः– **सिरसा जिले मे ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायती, शामलात भूमि में खड़े सूखे/हरे वृक्षों को कटवाने के प्रस्ताव – सम्बन्धित।**

उपरोक्त विषय बारे वनमण्डल अधिकारी, सिरसा ने अपने पत्र क्रमांक 10746/दिनांक 28.03.2023 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि:–

"वन मण्डल, सिरसा के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा गांव में पंचायती भूमि, स्कूल, शामलात भूमि, फिरनी स्टेडियम जोहड़ों इत्यादि भूमि पर खड़े सूखे/हरे वृक्षों को विकास कार्यों में बाधित, सौंदर्यकरण व दुर्घटना आदि कारणों का हवाला देते हुये इन्हें कटवाने के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त होते हैं। निम्नहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि बहुत सारे प्रस्तावों में मंजे गये पेड़ों की संख्या में बहुत सारे वृक्षों को काटना आवश्यक नहीं होता, लेकिन पंचायतों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव द्वारा वन कर्मचारियों को मौका निरीक्षण के समय मार्किंग सूचि में हरे पेड़ों को भी अंकित करवा दिया जाता है। पंचायतों द्वारा गांव की पंचायती भूमि में खड़े कांटेदार वृक्षों व कंटीली झाड़ियों को यह कहकर प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उनका कोई खास महत्व नहीं है तथा गांव के सौन्दर्यकरण के लिये इन्हें कटवाया जाना बहुत आवश्यक है। इस सम्बंध में निम्नहस्ताक्षरी का यह मत है कि इस भौगोलिक क्षेत्र से जुडी वनस्पतियों का जीव जन्तुओं के लिये प्राकृतिक आवास होने के साथ – 2 पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्व हैं तथा सौंदर्य कारणों से वनस्पतियों के अनावश्यक कटान को रोका जाना बहुत जरूरी है। एक हरा पेड़ पूर्णतयः विकसित होने में लगभग 15–20 साल का समय लगता हैं तथा जलवायु परिवर्तन के वर्तमान दौर में हरे पेड़ों/वनस्पतियों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। पंचायतों द्वारा तालाबों के आस–पास साफ सफाई के दौरान कुछ छोटे पेड़ों को बिना स्वीकृति के भी नष्ट किया जाता है। बाद में यह मामले शिकायतों का कारण बनते हैं. इस सम्बंध में भी सख्त दिशा–निर्देश की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कुछ सरपंचों/ग्राम पंचायतों द्वारा हरे पेड़ों को काटने के लिये प्रस्तावों का पत्राचार सीधे तौर से हरियाणा वन विकास निगम सिरसा के माध्यम से किया जा रहा हैं जिस कारण इस वन मण्डल के संज्ञान में ऐसे मामले नहीं आ रहे हैं जहां पर पेड़ों के अनावश्यक कटान को रोका जा सकता है। हरियाणा वन विकास निगम पेड़ों के कटान हेतू स्वतंत्र/स्वीकृत एजेन्सी हैं लेकिन निगम द्वारा पेड़ों के संरक्षण के बिन्दु पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता हैं।"

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक पंचायत की भूमि पर खडे वृक्ष कटवाने जाने अति आवश्यक न हो अर्थात अपरिहार्य कारणों के बिना वृक्षों को काटने बारे प्रस्ताव पारित न किये जाये। यदि किसी विशेष परिस्थिति में वृक्ष कटवाये जाने अति आवश्यक हों तो उस दशा में वृक्ष कटवाने बारे प्रस्ताव पारित करने से पूर्व कटवाये जाने वाले वृक्षों के बदले दोगुने पौधों का पौधारोपण करवाना सुनिश्चित करें तथा दोगुने पौधारोपण बारे पंचायत के प्रस्ताव में भी स्पष्ट उल्लेख करें, ताकि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के मध्यनजर हरे–भरे पेड़ों का सरक्षण किया जा सके तथा साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी हो सके।

इसके साथ–2 आपको यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य मे जब भी किसी ग्राम पंचायत की भूमि पर खडे वृक्षों को कटवाने बारे proposal इस कार्यालय में भिजवायें तो उसके साथ इस बारे सम्बन्धित ग्राम सचिव व कनिष्ठ अभियन्ता की संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी अवश्य साथ भिजवायें।

इस बारे किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए आप स्वयं निजि रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृते: उपायुक्त, सिरसा।

पृ० क्रमांक 112 पी०ए०/पंचायत–2023/दिनांक 11/4/2023 P-353 IX

इसकी एक प्रति वनमण्डल अधिकारी, सिरसा वनमण्डल सिरसा को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 10746/दिनांक 28.03.2023 के सन्दर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित है।

कृते: उपायुक्त, सिरसा।

Attested

Divisional Forest Officer,
SIRSA

//TYPED COPY\\

प्रेषक

उपायुक्त, सिरसा।
सेवा में
समस्त खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
जिला सिरसा।
कमांक 10511/पी०ए०/पंचायत 2023/दिनांक 11/4/2023

विषयः- सिरसा जिले में ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायती, शामलात भूमि में खड़े सूखे/हरे वृक्षों को कटवाने के प्रस्ताव - सम्बन्धित।

उपरोक्त विषय बारे वनमण्डल अधिकारी, सिरसा ने अपने पत्र कमांक 10746/दिनांक 28.03.2023 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है किः- "वन मण्डल, सिरसा के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा गांव में पंचायती भूमि, स्कूल, शामलात भूमि, फिरनी स्टेडियम जोहड़ों इत्यादि भूमि पर खड़े सूखे/हरे वृक्षों को विकास कार्यों में बाधित, सौंदर्यकरण व दुर्घटना आदि कारणों का हवाला देते हुये इन्हें कटवाने के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त होते हैं। निम्नहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि बहुत सारे प्रस्तावों में मर्ज गये पेड़ों की संख्या में बहुत सारे वृक्षों को काटना आवश्यक नहीं होता, लेकिन पंचायतों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव द्वारा वन कर्मचारियों को मौका निरीक्षण के समय मार्किंग सूची में हरे पेड़ों को भी अंकित करवा दिया जाता है। पंचायतों द्वारा गांव की पंचायती भूमि में खड़े काटेदार वृक्षों व कटीली झाड़ियों को वह कहकर प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उनका कोई खास महत्व नहीं है तथा गांव के सौन्दर्यकरण के लिये इन्हें कटवाया जाना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में निम्नहस्ताक्षरी का यह मत है कि इस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी वनस्पतियों का जीव जन्तुओं के लिये प्राकृतिक आवास होने के साथ - 2 पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्व है तथा सौंदर्य कारणों से वनस्पतियों

के अनावश्यक कटान को रोका जाना बहुत जरूरी है। एक हरा पेड़ पूर्णतः विकसित होने में लगभग 15-20 साल का समय लगता है तथा जलवायु परिवर्तन के वर्तमान दौर में हरे पेड़ों/वनस्पतियों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। पंचायतों द्वारा तालाबों के आसपास साफ सफाई के दौरान कुछ छोटे पेड़ों को बिना स्वीकृति के भी नष्ट किया जाता है। राधा बाद में यह मामले शिकायतों का कारण बनते है। इस सम्बंध में सख्त दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कुछ सरपंचों/ग्राम पंचायतों द्वारा हरे पेड़ों को काटने के लिये प्रस्तावों का पत्राचार सीधे तौर से हरियाणा वन विकास निगम सिरसा के माध्यम से किया जा रहा है जिन कारण इस वन मण्डल के संज्ञान में ऐसे मामले नहीं आ रहे हैं जहां पर पेड़ों के अनावश्यक कटान को रोका जा सकता है। हरियाणा वन विकास निगम पेड़ो के कटान हेतु स्वतंत्र/स्वीकृत एजेन्सी है लेकिन निगम द्वारा पेड़ों के संरक्षण के विन्दु पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है।"

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिकोण आपको निर्देश दिये जाते है कि आप भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक पंचायत की भूमि पर खड़े वृक्ष कटवाने जाने अति आवश्यक न हो अर्थात अपरिहार्य कारणों के बिना वृक्षों को काटने बारे प्रस्ताव पारित न किये जाये। यदि किसी विशेष परिस्थिति में वृक्ष कटवाये जाने अति आवश्यक हों तो उस दशा में वृक्ष कटवाने बारे प्रस्ताव पारित करने से पूर्व कटवाये जाने वाले वृक्षों के बदले दोगुने पौधों का पौधारोपण करवाना सुनिश्चित करें तथा दोगुने पौधारोपण बारे पंचायत के प्रस्ताव में भी स्पष्ट उल्लेख करें, ताकि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के मध्यनजर हरे-भरे पेड़ों का संरक्षण किया जा सके तथा साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी हो सके।

इसके साथ-2 आपको यह भी निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में जब भी किसी ग्राम पंचायत की भूमि पर खड़े वृक्षों को कटवाने बारे proposal इस कार्यालय में भिजवाये तो उसके साथ इस बारे सम्वन्धित ग्राम सचिव व कनिष्ठ अभियन्ता की संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी अवश्य साथ भिजवायें।

इस बारे किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए आप स्वयं निजी रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृते उपायुक्त, सिरसा।
पृ0 क्रमांक 112 पी०ए०/पंचायत-2023/दिनांक 11/4/2023 353 IX
इसकी एक प्रति वनमण्डल अधिकारी, सिरसा वनमण्डल सिरसा को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 10746/दिनांक 28.03.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
कृते उपायुक्त, सिरसा।

(Stamp/Signature)
Divisional Forest Officer,

SIRSA

//TRANSLATED COPY\\

From

Deputy Commissioner, Sirsa.

To

All Block Development and Panchayat Officers,

District Sirsa.

No. 10511/PA/Panchayat 2023/Date 11/4/2023

Subject: Regarding proposals by Gram Panchayats in District Sirsa for cutting dry/green trees standing on Panchayati/Shamlat land.

With reference to the above subject, the Divisional Forest Officer, Sirsa, has informed this office through his letter No. 10746 dated 28.03.2023 that:-

“Under the Forest Division, Sirsa, proposals are received from Gram Panchayats for approval to cut dry/green trees standing on Panchayati land, school land, Shamlat land, phirni, stadium, ponds, etc. in the village, citing reasons such as obstruction to development works, beautification, accidents, etc. It has come to the notice of the undersigned that in many proposals, it is not necessary to cut many of the trees mentioned as fallen trees, but through the approved proposal of the पंचायतs, green trees are also got marked in the marking list by forest staff during the spot inspection. By the पंचायतs, proposals are passed in respect of thorny trees and thorny bushes standing on village Panchayati land by stating that they have no special importance and that they need to be cut for the beautification of the village. In this regard, it is the view of the undersigned that the vegetation related to this geographical area is of great importance in the ecological system as a natural habitat for fauna, and that unnecessary cutting of vegetation for beautification reasons must be stopped. A green

tree takes about 15–20 years to become fully developed, and in the present era of climate change, the protection of green trees/vegetation is very necessary. During cleaning around ponds, some small trees are also destroyed without approval by the पंचायतs. Later, these matters become the cause of complaints. Strict directions are required in this regard. In addition, some sarpanches/gram panchayats are sending correspondence for cutting green trees directly through Haryana Forest Development Corporation, Sirsa, due to which such cases do not come to the notice of this Forest Division, where unnecessary cutting of trees could be prevented. Haryana Forest Development Corporation is an independent/authorized agency for cutting trees, but the corporation does not pay much attention to the protection of trees."

Therefore, in view of the above situation, you are directed to take special care in future that proposals for cutting trees standing on Panchayat land should not be passed unless it is अत्यंत आवश्यक, i.e., unless there are unavoidable reasons for cutting the trees. If, in a particular situation, it becomes absolutely necessary to cut trees, then before passing the proposal for cutting trees, ensure that double the number of saplings are planted in place of the trees to be cut, and clearly mention this in the Panchayat proposal as well, so that in the present era of climate change, the protection of green trees can be ensured and the environment can also be protected.

Further, you are also directed that whenever in future any proposal is sent to this office for cutting trees standing on the land of a Gram Panchayat, a joint spot inspection report by the concerned Gram Sachiv and Junior Engineer must also обязательно accompany it.

For any kind of negligence in this matter, you shall be personally responsible.

For Deputy Commissioner, Sirsa.

A copy of this is being sent to the Divisional Forest Officer, Sirsa Forest Division, for information in reference to his office letter No. 10746 dated 28.03.2023.

For Deputy Commissioner, Sirsa.

(Stamp/Signature)
Divisional Forest Officer,
SIRSA

प्रेषक

उपायुक्त, सिरसा। 207 9

सेवा में

समस्त खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
जिला सिरसा।

क्रमांक 2267-73/पी0ए0/पंचायत-2024/दिनांक 21/8/24

विषयः— **ग्राम पंचायतों की शामलात भूमि/वाटर वर्क्स व स्कूल इत्यादि की भूमि में खड़े वृक्षों की कीमत आरक्षित करवाने बारे।**

उपरोक्त विषय बारे जैसा कि आपको विदित है कि प्रायः ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायतों की शामलात भूमि/वाटर वर्क्स व स्कूल इत्यादि में खडे वृक्षों को कटवाने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सम्बन्धित खण्ड कार्यालय के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त होता है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में जब भी आपके खण्डों के अन्तर्गत पडने वाली किसी ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की शामलात भूमि/वाटर वर्क्स व स्कूल इत्यादि की भूमि में खडे वृक्षों की कीमत आरक्षित करवाने बारे प्रस्ताव खण्ड कार्यालय में प्राप्त होता है तो उस दशा में आप पंचायत का प्रस्ताव नियमानुसार सीधे ही वनमण्डल अधिकारी, सिरसा वनमण्डल सिरसा को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

इसके साथ-2 आपको यह निर्देश दिये जाते हैं कि जैसे ही वनमण्डल अधिकारी, सिरसा की तरफ से कीमत आरक्षित होने उपरान्त पत्र आपके कार्यालय में प्राप्त होता है आप उक्त पत्र अविलम्ब इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि यथानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सके। आपको यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में कोई प्रोपोजल वनमण्डल अधिकारी, सिरसा के कार्यालय में भिजवाते समय यह सुनिश्चित करें कि उक्त प्रोपोजल इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 105-11/पी0ए0 /पंचायत-2023/दिनांक 11.04.2023 (प्रति सलंग्न) के अनुरूप हैं।

इसे परम अग्रता प्रदान करें।

कृतेः उपायुक्त, सिरसा।

पृ0 क्रमांक 2274 पी0ए0/पंचायत-2024/दिनांक 21/8/24

इसकी एक प्रति वनमण्डल अधिकारी, सिरसा वनमण्डल सिरसा को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

R-1928
21/08/24

21/08 a.m.

कृतेः उपायुक्त, सिरसा।

Seen
DFO Sirsa

Attested

Divisional Forest Officer.
SIRSA

From:- Principal, G.M.S.S.S.S. Sanghi (2681)

To:- 1) D.E.O, Rohtak

2) Sh. Chander Parkash (S1889)

D.No. (309) Dated 24-10-25

Subject:- Providing information as per R.T.I Act-2005 of Sh. Chander Parkash (S1889) R.T.I.

R/Sir,

Reply of Point No. (1)

पंचायती राज एक्ट, हरियाणा के तहत कमेटी बनाई जाती है जो D.C. साहब द्वारा बनाई जाती है वह कमेटी निलामी करवाती है।

Reply of Point No. (2)

अगर पेड़ छात्रों द्वारा लगाए गए थे तो पैसे स्कूल फंड में अन्यथा सरकारी संस्थानों द्वारा पेड़ लगाए जाने की स्थिति में पैसे सरकार के खाते में जमा होते हैं।

Reply of Point No. (3)

विद्यालयों के पौधे शिक्षा निदेशक उच्च अधिकारियों से समय-2 पर लिए जाते हैं।

Reply of Point No. (6) वर्ष 2020 से 2025 के दौरान विद्यालय से काटे गए वृक्षों की संख्या शून्य है।

(signature)

Principal
Dr. Sarup Singh
G.M.S.S.S.S.
SANGHI (Rohtak)

(रजि0)

प्रेषक

सहायक राज्य जनसूचना अधिकारी एवं
अधीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, सिरसा।

प्रेषित

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रमेश चंद
निवासी गांव अहमदपुर
तह0 व जिला सिरसा
मो0 नं0 89308–58457

क्रमांकः– 119 / आर0टी0आई0 / सी0ई0ए0 दिनांकः– 13/11/2025

विषयः– जन–सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे।

....

उपरोक्त विषय पर आपके द्वारा जन–सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना की प्रति साथ संलग्न है।

सहायक राज्य जनसूचना अधिकारी एवं
अधीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, सिरसा।

पृ0 क्रमांक आर0टी0आई0 / सी0ई0ए0 दिनांक

इसकी एक प्रति राज्य जनसूचना अधिकारी एवं नगराधीश, कार्यालय उपायुक्त, सिरसा को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1880 / आर0टी0आई0 दिनांक 31.10.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित हैं।

सहायक राज्य जनसूचना अधिकारी एवं
अधीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, सिरसा।

CEA reminder 1490

स्मरण पत्र

प्रेषक

उपायुक्त सिरसा।

प्रेषित

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
सिरसा।

क्रमांक 998/misc /सी0ई0ए0 दिनांक 15/10/2025

विषयः– दरखास्त बाबत किये जाने कानूनी व विभागीय कार्यवाही बरखिलाफ संदीप कुमार सरपंच गांव अहमदपुर नजदीक हवाई अड्डा जिला सिरसा।

....

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 119/डी0सी0/सी0ई0ए0 दिनांक 10.01.2024, स्मरण पत्र 124/MISC/CEA दिनांक 29.03.2024 व 296/MISC/CEA दिनांक 05.05.2025 के संदर्भ में मांगी गई रिपोर्ट लगभग 1 वर्ष 9 माह से अधिक का समय व्यतीत होने उपरान्त भी आपके कार्यालय से प्राप्त ना हुई है, जो कि खेद का विषय है। अतः आपको पुनः लिखा जाता है कि उक्त बारे रिपोर्ट दो दिन के अन्दर–2 इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

नोटः– इसे परम अग्रता प्रदान की जावे।

किसी भी देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

कृतेः उपायुक्त सिरसा।

Issued Under RTI Act 2005
Suman Kumari
For Deputy Commissioner
SIRSA 4

CEA reminder 1232

स्मरण पत्रः—

प्रेषक

उपायुक्त, सिरसा।

प्रेषित

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
सिरसा।

क्रमांक— 296/misc /सी0ई0ए0 दिनांक— 05/05/2025

विषयः— **दरखास्त बाबत किये जाने कानूनी व विभागीय कार्यवाही बरखिलाफ संदीप कुमार सरपंच गांव अहमदपुर नजदीक हवाई अड्‌ड़ा जिला सिरसा।**

....

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 119/DC/सी0ई0ए0 दिनांक 10.01.2024 व 124/मिश्लेनियस/सी0ई0ए0 दिनांक 29.03.2024 के सन्दर्भ में मांगी गई रिपोर्ट लगभग 1 वर्ष 3 माह से अधिक का समय व्यतीत होने उपरांत भी आपके कार्यालय से प्राप्त ना हुई है। अतः आपको पुनः लिखा जाता है कि उक्त बारे रिपोर्ट तीन दिन के अन्दर—2 इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

देरी के लिए आपका कार्यालय स्वयं जिमेवार होगा।

कृतेः उपायुक्त, सिरसा।

Issued Under RTI Act 2005
Suman Kum
For Deputy Commissioner
SIRSA

स्मरण पत्रः—

प्रेषक,

उपायुक्त, सिरसा।

प्रेषित

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
सिरसा।

क्रमांक— 124 /Misc /सी0ई0ए0 दिनांक— 29/03/24

विषयः— दरखास्त बाबत किये जाने कानूनी व विभागीय कार्यवाही बरखिलाफ संदीप कुमार संपंच गांव अहमदपुर नजदीक हवाई अड्डा जिला सिरसा।

....

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 119/DC/सी0ई0ए0 दिनांक 10.01.2024 के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में इस कार्यालय द्वारा जांच करके जांच रिपोर्ट दस दिन के अन्दर–2 भिजवाने हेतू अनुरोध किया गया था। लेकिन लगभग दो माह से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरांत भी जांच रिपोर्ट आपके कार्यालय से प्राप्त ना हुई है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि वाछिंत रिपोर्ट शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।

Issued Under RTI Act 2005
Suman Kumari
For Deputy Commissioner,
SIRSA

कृतेः उपायुक्त, सिरसा।

213

15
75-A
09-01-24

Office Of Deputy Commissioner Sirsa
No. 119 /DC....... / CEA Date ....
A Copy is forwarded to the 10.01.2024
followings for Necessary action and
report within 10 days please

CEA
SD
09/1/24
+ Supdt.

For Deputy Commissioner, Sirsa

सेवा मे ,

To, BDPO, SIRSA

श्री मान उपायुक्त महोदय,

सिरसा

विषय :— दरखास्त बाबत किये जाने कानूनी व विभागीय कार्यवाही बरखिलाफ संदीप कुमार सरपंच गांव अहमदपुर नजदीक हवाई अडडा , जिला सिरसा

श्री मान जी ,

प्रार्थीगण निम्नलिखित निवेदन करते है :—

1. यह कि प्रार्थीगण गांव अहमदपुर नजदीक हवाई अडडा , जिला सिरसा के निवासीगण है और अमन पसन्द नागरिक है ।

2. यह कि हमारे गांव मे घग्गर नदी के नजदीक पंचायती जमीन मे करीब 15/16 मोटे व पुराने हरे भरे पेड लगे हुये थे जो कि करीब 40 से लेकर 50 साल पुराने पेड है जो कि पुरी तरह से हरे भरे व अच्छी हालत मे थे ।

यह कि दिनांक 2—10—23 को उक्त सरपंच ने उक्त पेड अपनी मर्जी से , बिना किसी की सहमति व बिना प्रस्ताव पारित किये कटवा कर बेच दिये और इस बारे मे किसी गांववासी को ना तो बताया गया और

Issued Under RTI Act 2005
Suman Kumar
For Deputy Commissioner,
SIRSA.

ना ही उनसे कोई सलाह मशवरा किया गया और अपने निजी हित के लिए उन पेडो को गैरकानूनी तौर पर कटवा दिया जबकि करीब एक साल पहले वन विभाग द्वारा गांव के पेडो की निशानदेही आदि करके उनका रिकार्ड मेनटेन किया गया था जो कि वह रिकार्ड भी वन विभाग से मगंवाया जाये

लिहाजा आपसे प्रार्थ्ना है कि उक्त दोषी सरपंच के खिलाफ सख्त कानूनी व विभागीय कार्यवाही की जाये और उपरोक्त बेचे गये पेडो की राशि रिकवर की जाये आपकी अति कृपा होगी ।

सिरसा / 7–10–23

प्रार्थीगण चन्द्र प्रकाश
9728922052

चन्द्र प्रकाश
1. चन्द्र प्रकाश समाजसेवी पुत्र श्री हरी चन्द

2. लेख राज पुत्र श्री बुध सिंह

लेख राज
3. लेख राज पुत्र श्री जेठा राम

हरमीत सिंह
4. हरमीत पुत्र श्री कुलवन्त सिंह

देसराज
5. देस राज पुत्र श्री हरनाम चन्द

निवासीगण गांव अहमदपूर नजदीक हवाई अडडा जिला सिरसा वा अन्य गांववासी

Issued Under RTI Act 2005
Suman Kumari
For Deputy Commissioner
SIRSA